संख्या-101 /2026/2025/26-3-2026-2004864

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2026

विषयः-डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजना का यथाशीघ्र क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1101/26-3-2026-2004864, दिनांक 09.04.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा में समाज सुधारकों, महापुरूषों, सामाजिक न्याय के प्रणेतागण तथा सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 09.04.2026 के प्रस्तर-6 में प्रति मूर्ति/स्थल विकास हेतु अधिकतम धनराशि रू0 10.00 लाख व्यय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक विधान सभा में न्यूनतम 10 स्मारकों का चिन्हांकन किया जाएगा। अग्रेतर प्रस्तर-7 में परियोजना के क्रियान्वयन की निम्नवत् प्रक्रिया उल्लिखित है:-

2.1. योजनान्तर्गत आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिलाधिकारी को दिया जा सकेगा।

2.2. योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित विभाग/नगरीय निकाय/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

2.3. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित मूर्तियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तथा नगरीय क्षेत्रों में यह कार्य नगर निकाय के अधिकारी यथा-अधिशासी अधिकारी, नगर आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

2.4. प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात छत्र निर्माण एवं स्थल विकास से सम्बन्धित आगणन जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किया जायेगा।

2.5. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन प्राप्त होने के पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से धनराशि की मांग शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2.6. जनपद स्तर पर धनराशि प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था द्वारा 03 माह के भीतर छत्र निर्माण एवं स्थल विकास कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

2.7. परियोजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण मा0 जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जायेगा।

2.8. प्रथम चरण में प्रदेश की 403 विधान सभाओं (प्रत्येक में) स्थापित न्यूनतम 10 मूर्तियों के स्थल विकास का कार्य किया जायेगा।

3- उक्त के दृष्टिगत योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की गयी है:-

क्रमांक	कार्य	निर्धारित समयावधि
1	जनपद में विधान सभा वार परियोजना स्थल के विकास हेतु प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि	दिनांक 31-07-2026
2	उपरोक्तानुसार चिन्हित स्थल के विषयगत शासनादेश में वर्णित प्रक्रियानुसार स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आगणन तैयार करने की अंतिम तिथि	दिनांक 21-08-2026

3	समेकित मांग सम्बन्धी प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करने एवं तैयार आगणन के अनुसार निविदा आमंत्रित करने विषयक समस्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने की अंतिम तिथि	दिनांक 31-08-2026
4	आमंत्रित निविदा का मूल्यांकन एवं तदनुसार स्वीकृत कार्य आरंभ किये जाने की अंतिम तिथि	दिनांक 30-09-2026
5	परियोजना पूर्ण करने की अंतिम तिथि	दिनांक 31-12-2026

4- उपरोक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना स्थल का चयन एवं तकनीकी मूल्यांकन की स्वीकृति के साथ विस्तृत आगणन को प्रत्येक जनपद द्वारा इस विषय में वांछित धनराशि विषयक मांग पत्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा० बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 09-04-2026 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अपने जनपद के प्रत्येक विधान सभा में अवस्थित मूर्ति/स्थल विकास हेतु परियोजना स्थल का चयन, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, तकनीकी मूल्यांकन व समुचित विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए परियोजना स्थल वार कुल वांछित धनराशि सम्बन्धी समेकित मांग पत्र निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त योजना की प्रगति की समीक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर करने का कष्ट करें।
4- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र की प्रति जनपद से सम्बन्धित मा0 सांसद तथा समस्त विधायकगण को स्वस्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 21-07-2026
(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।